न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 49/2019 RCMS No.—2019/00104

श्री जैन मन्दिर वाटिका, जरिये वाद मित्र एवं अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रदीप जैन हाल महामंत्री राजस्थान जैन सभा कार्यालय चाकसू का चौक घीवालो का रास्ता, जयपुर।
...निगरानीकर्ता

बनाम

1. नरपत सिंह पुत्र श्री देवी सिंह
2. लोकपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
3. महिपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण– ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. ग्राम पंचायत वाटिका जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर, जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी बखिलाफ निर्णय ग्राम पंचायत वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 06.07.2009 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत ने दिनांक 09.08.2009 को गलत रूप से पट्टा जारी किया।

उपस्थितः–

1. श्री निर्मल कुमार जैन निगरानीकार की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.09.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत वाटिका, पं.स. सांगानेर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत के पक्ष में संकल्प संख्या 6 दिनांक 06.07.2009 जिसके तहत आदेश दिनांक 09.08.2009 द्वारा पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.04.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रज़िस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस दिनांक 09.08.2019 को जारी कर भिजवाए गए। गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत तीन अनुपस्थित है। गैर निगरानीकार संख्या 4 ग्राम पंचायत वाटिका की ओर से सचिव ग्राम पंचायत वाटिका उपस्थित आये एवं प्रकरण में अपना जवाब कमांक 72 दिनांक 26.07.2019 प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल पट्टा पत्रावली अप्राप्त है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा आबादी भूमि में से जैन मन्दिर वाटिका को संकल्प संख्या 3 दिनांक 10.07.1989 द्वारा निःशुल्क भूमि का आवंटन कर पट्टा जारी किया गया तत्पश्चात उसी पट्टेशुदा भूमि का पट्टा बिना किसी अधिकारिता एवं कब्जे के गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के नाम द्वितीय पट्टा दिनांक 09.08.2009 को जारी कर दिया। ग्राम वाटिका स्थित भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 109.33 वर्गगज स्थित है। उक्त

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

स्थल को ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा सन् 1989 में अपने संकल्प संख्या 3 दिनांक 10.07.1989 द्वारा निःशुल्क जैन मन्दिर को पट्टा जारी कर प्रदान किया गया था एवं भूमि का कब्जा जैन मन्दिर के संयोजक को संभलवाया गया। तब से उक्त स्थल धार्मिक कार्यो में उपयोग आता रहा है। गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त भूखण्ड पर कब्जा करने के उद्धेश्य से मिलीभगत कर मन्दिर की भूमि का पट्टा चाहने बाबत ग्राम पंचायत वाटिका में आवेदन किया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका देखे, फर्जी तरीके से जैन मन्दिर की भूमि का पट्टा गैर निगरनीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में संयुक्त रूप से जारी कर दिया। निगरानीकर्ता के कब्जे की भूमि पर पुनः रेस्पाडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम जारी पट्टे की जानकारी ग्राम पंचायत को होने पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा उक्त स्थल पर जैन मन्दिर का 30–40 वर्षो से कब्जा माना तथा जैन मन्दिर को जारी पट्टे की पुष्टि की है तथा ग्राम सभा दिनांक 06.01.2017 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा सर्वसममति से जैन मन्दिर की उक्त पट्टेशुदा व कब्जेशुदा भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के नाम जारी पट्टे को खारिज किये जाने का प्रस्ताव पास किया गया। निगरानीकर्ता को न्यायालय अपर सिविल जज कम संख्या 26 जयपुर सांगानेर में गैर निगरानीकारान के जवाब पेश किया जिसमें निगरानीधीन पट्टे की जानकारी हुई एवं निगरानीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालीय में अविलम्ब निगरानी पेश की है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा जारी मिसल संख्या 89 में संकल्प संख्या 06 दिनांक 06.07.2009 द्वारा जारी पट्टा दिनांक 09.08.2009 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत से प्राप्त पट्टा पत्रावली आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत वाटिका की पत्रावली अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में निगरानी का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है। सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत वाटिका से प्राप्त जवाब पत्रांक/72 दिनांक 26.07.2019 अनुसार निगरानीधीन पट्टा से संबंधित कोई मूल पत्रावली ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है एवं ग्राम पंचायत रिकॉर्ड अनुसार भी निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया बताया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की मुख्य दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी निगरानीधीन पट्टे की भूमि का पूर्व में पट्टा दिनांक 10.07.1989 को जैन मन्दिर को जारी किया जा चुका है एवं निगरानीधीन भूमि पर जैन मन्दिर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

संयोजको का ही वर्तमान में कब्जा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं ग्राम पंचायत वाटिका से प्राप्त जवाब के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत वाटिका द्वारा निगरानीधीन भूमि का पट्टा पूर्व में ही जैन मन्दिर को जारी किया जा चुका है एवं निगरानीधीन भूमि पर वर्तमान में जैन मन्दिर एवं जैन मन्दिर के संयोजको का ही कब्जा है। ग्राम सभा वाटिका में प्रस्ताव संख्या 06.01.2017 को प्रस्ताव नंबर 1 पारित कर जैन मन्दिर के पट्टे को सही मानते हुए कथित निगरानीधीन पट्टे को खारिज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। जैन मन्दिर के हक में जारी पट्टे के भूखण्ड पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के नाम पुनः पट्टा जारी किया जाना विधिविरूद्व है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत वाटिका, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा संकल्प सं. 06 दिनांक 06.07.2009 से गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 क्रमशः नरपत सिंह पुत्र देवीसिंह, लोकपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, महिपाल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह के हक में संयुक्त रूप से आदेश दिनांक 09.08.2009 से जारी पट्टा संख्या 375 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर